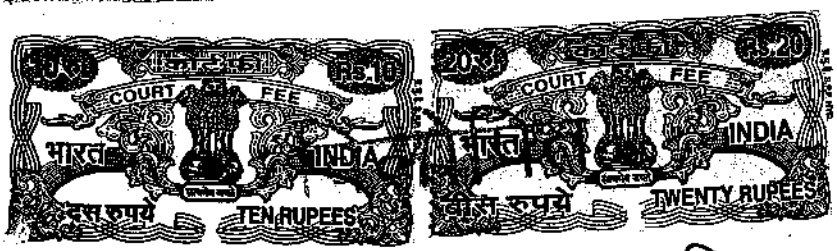

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(82)

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

~~नि / 3119 / IV / 15~~
नि-3119-IV/15

1. जगदीश तनय बाबूलाल यादव
2. लखन तनय बाबूलाल यादव
निवासी खैरा तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़ म.प्र. .... आवेदकगण

विरूद्ध

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) को द्वारा आज दि. 16/09/15 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. शिव सिंह तनय भैयालाय यादव
2. विद्याधर तनय भैयालाल यादव
3. जगन्नाथ तनय भैयालाल यादव
4. गुलाब बाई पत्नि विद्याधर यसादव
5. जयराम तनय कुंजी यसादव
सभी निवासी ग्राम खैरा तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ म.प्र. .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रां. संहिता

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 686/अ–6/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगणों के आवेदन विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर संपूर्ण जांच उपरांत यह पाया कि विवादित भूमि बंदोबस्त के समय म.प्र. सरकार में बंजर दर्ज थी। जिसमें सूची अनुसार फर्जी प्रविष्टि के तहत भूमि स्वामी दर्ज किया जाना पाये जाते हुए जिसमें किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न होने से फर्जी प्रविष्टि के तहत भू–स्वामी दर्ज किया गया था ऐसा करने के पूर्व किसी भी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश न होने से की गई फर्जी प्रविष्टि को सुधार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.14 को आदेश पारित कर म.प्र. शासन के नाम दर्ज करने का विधिसंमत आदेश पारित किया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विद्ववान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्वतः अनावेदकगणों के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा भी किये जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3119/दो 15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.6.16	1– आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता रजनी वशिष्ठ उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र.क्र. 686/अ–6/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 14/09/2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर सम्पूर्ण जांच उपरांत यह पाया कि विवादित भूमि बंदोबस्त के समय म.प्र.शासन में बंजर दर्ज थी। जो न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के पृष्ठ क्र. 6 में दर्शायी गयी सूची अनुसार फर्जी प्रविष्टि के तहत भूमि स्वामी दर्ज कराई गई है ऐसा किये जाने के पूर्व किसी भी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश नहीं था न ही किसी प्रकरण को पंजीबद्व कर या कार्यावाही उल्लेखित की गई थी अनावेदकगणों द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था जिससे की गई फर्जी प्रविष्टि वैद्य मानी जा सकें। ऐसी फर्जी प्रविष्टि को सुधार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दि. 02.06.2014 को आदेश पारित किया गया है जिसे स्थिर रखते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3– उनका यह भी तर्क है। विचारण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार जतारा द्वारा संपूर्ण सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत स्थल पंचनाम प्रतिवेदन के आधार पर खसरा नंबर की वास्तविक स्थिति एवं म.प्र.शासन में होने के आधार पर विवादित भूमि को संवत 2020 से सन 1992–93 तक शासकीय बंजर में दर्ज होना पाते हुए और बिना किसी प्रकरण क्रमांक एवं सक्षम अधिकारी की स्पष्ट टीप के आभाव में लाल स्याही से काटापीटी एवं फर्जी लिखा लेख पाते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया था। अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दि. 28.04.14 को तहसीलदार जतारा द्वारा अपने कथन अंकित कराये है जिसमें उन्होंने प्र० में प्रश्नाधीन भूमि दस्तावेजों में कूटरचना कर भूमि स्वामी दर्ज की गई थी अतः अधिकार विहिन प्रविष्ट्यिों को विलोपित करने का आदेश दिया	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

है जो उचित है का कथन किया है किंतु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा ग्राम खेरा के सी–रजिर्स्टर में की गई फर्जी प्रविष्टि को वैद्य मानकर म.प्र.शासन की भूमि को अनावेदकगण के नाम दर्ज करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के दस्तावेजों में कूट रचना कर भूमि स्वामी दर्ज की गई अधिकार विहिन प्रविष्टि को विलोपित करने का विधि–सम्मत आदेश पारित किया था इस कारण उन्होंने तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.14 को स्थिर रखते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

4– अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत दिया है कि धारा 115, 116 में विचारण न्यायालय को एक वर्ष के अंदर की अशुद्धि को सुधार करने का अधिकार है वर्ष 1961 की प्रविष्टि को धारा 116 के संज्ञान में लेने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था इसी प्रकार तहसीलदार जतारा द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किए अनावेदकगणों के नाम चली आ रही प्रविष्टि को प्रथक करने का आदेश पारित किया था वादग्रस्त भूमि के खसरा की प्रति अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें सन 1961 से कब्जा प्रमाणित है तथा अनावेदकगणों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर भूमि क्रय की है। तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किए जाने पर उन्होंने सी–रजिस्टर जिसमें भूमि स्वामी के नाम दर्ज प्रविष्टि को वैद्य मान्य करते हुए विस्तृत व्याख्या उपरांत आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त सागर द्वारा भी विधिवत रूप से अपने समक्ष ग्राम खेरा के सी–रजिस्टर को बुलाया जाकर परिक्षण उपरांत की गई प्रविष्टि को वैद्य करार देते हुए यह मान्य किया है कि सी–रजिस्टर वर्ग 6 में दर्ज भूमि स्वामी के बंटन से संबंधित रजिस्टर है वर्ग 6 में बंजर मद की भूमि दर्ज होती है दिनांक 05.10.1961 को बंजर भूमि पर भूमिस्वामी हक तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रदाय किया गया है इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखते हुए प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है

5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.09.2014 में तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है कि उन्हें नवीन प्रविष्टि की अधिकारिता नहीं थी उनके द्वारा कूट रचित

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक....निग. 3119/दो 15 ...जिला ....टीकमगढ़.........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दस्तावेजों को विचारण में लिए बिना आदेश पारित किया है के अतिरिक्त कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। आवेदकगणों द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपने आदेश में ग्राम खेरा के सी–रजिस्टर के अवलोकन उपरांत सी–रजिस्टर को बंटन भूमि से संबंधित रजिस्टर होना एवं इसी आधार पर बंजर भूमि को भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने का आधार लेते हुए और उसकी व्याख्या करते हुए अनावेदकगणों को भूमि स्वामी एवं पट्टेदार से भूमि क्रय किए जाने के आधार उल्लेखित कर प्रस्तुत अपील निरस्त की है जबकि राजस्व रिकार्ड खसरा पांचसाला एवं बी–1 की छायाप्रति के अवलोकन से यह पाया जाता है कि खसरा नंबर 751, 752 राजस्व बंजर मद में दर्ज है 1961 की खतौनी में गैर हकदार शासन दर्ज है इस कारण अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। विचारण न्यायालय तहसीलदार जतारा के द्वारा अपने आदेश के पूर्व हल्का पटवारी से ग्राम खैरा स्थित भूमि की बस्तु स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया है जिसमें सम्पूर्ण खसरा नंबरों का कंडिकावार विवरण देते हुए प्रश्नाधीन भूमि को किसी भी सक्षम अधिकारी की न तो कोई टीप होने, न ही प्रकरण कमांक उल्लेखित होने के आधार पर फर्जी प्रविष्टि मान्य करते हुए म.प्र.शासन बंजर दर्ज भूमि को अनावेदकगणों के नाम पाये जाने से राजस्व रिकार्ड में पूर्वतः शासन के नाम प्रविष्टि यथावत रखे जाने संबंधी आदेश पारित किया है जिसकी उन्हें अधिकारिता है इस कारण तहसीलदार जतारा द्वारा प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। 6–. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/09/2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/09/2014 निरस्त किए जाते है तथा तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश दि.02.06.14 स्थिर रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर यह दा० द० रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.